नस्ल, जातीयता या राष्ट्रीय मूल-आधारित भेदभाव

नस्ल, जातीयता या राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव से मुक्त होने के अपने अधिकार के बारे में यहां और अधिक जानें, और जानें कि कानून आपकी रक्षा कैसे करता है।

नस्ल, जातीयता या राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव कैसा दिखता है?

अवलोकन

अगर कोई व्यक्ति या कंपनी जानबूझकर आपकी नस्ल, जातीयता या राष्ट्रीय मूल के आधार पर आपसे अलग व्यवहार करती है तो यह भेदभाव गैरकानूनी है । उदाहरण के लिए, यदि आप एक मकान किराए पर लेने के लिए आवेदन करते हैं और आप से कहा जाता है कि मकान मालिक काले लोगों को घर किराए पर नहीं देता है तो मकान मालिक कानून का उल्लंघन करता है। इसी तरह, किसी नियोक्ता के लिए उस व्यक्ति की नस्ल, जातीयता या राष्ट्रीय मूल के कारण अलग रंग के किसी व्यक्ति को रखने से इंकार करना गैरकानूनी है।

गैरकानूनी भेदभाव के कुछ रूप सूक्ष्म हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक नियोक्ता या आवास या क्रेडिट प्रदाता उन नीतियों को अपना सकता है जो किसी विशेष नस्ल, जातीयता या राष्ट्रीय मूल के लोगों के लिए अनुचित और असंगत नुकसान पहुंचाते हैं। उदाहरण के लिए, किसी भी प्रकार के आपराधिक रिकॉर्ड के साथ किसी को भी काम पर रखने से इनकार करने से काले और लैटिनएक्स नौकरी के आवेदकों को नुकसान होता है, जो वर्तमान आपराधिक न्याय प्रणाली में आपराधिक रिकॉर्ड रखने के लिए गोरों की तुलना में अधिक संभावना रखते हैं। पुरानी सजाओं सिहत कई प्रकार की सजाओं में आवेदक की नौकरी करने की क्षमता का कोई लेना देना नहीं है। आपराधिक रिकॉर्ड वाले लोगों को छोड़ने की एक ब्लेंकेड नीति अवैध "असमान प्रभाव" वाली नीति होगी। इसके अतिरिक्त, इस विशेष नीति को अपनाने के कारणों के आधार पर, तथ्य यह दिखा सकते हैं कि नीति को आपराधिक रिकॉर्ड वाले रंग के लोगों को बाहर करने की इच्छा से प्रेरित किया गया था, इस मामले में नीति अवैध रूप से जानबूझकर नस्लीय भेदभाव का गठन करेगी।

आपके अधिकार

- संघीय भेदभाव विरोधी कानून आवास, क्रेडिट, रोजगार और रेस्तरां, फिल्म थिएटर, पार्क और ट्रेनों
 की तरह "सार्वजनिक आवास" में भेदभाव पर रोक लगाते हैं।
- आपको आपकी नस्ल, जातीयता, या राष्ट्रीय मूल के कारण घर, नौकरी या ऐसी किसी भी सेवा से वंचित नहीं किया जा सकता जो जनता के लिए खुली है और आपकी नस्ल, जातीयता, या राष्ट्रीय मूल के कारण आपसे किसी भी वस्तु की अलग कीमत नहीं ली जा सकती। संविधान किसी भी स्थिति में सरकार को आपकी नस्ल, जातीयता या राष्ट्रीय मूल के कारण बदतर उपचार के अधीन करने से रोकता है।

• राज्य और स्थानीय कानून नस्ल, जाति या राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव के खिलाफ सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं।

यदि आपको लगता है कि आपके अधिकारों का उल्लंघन किया गया है तो क्या करें

- उन सभी दस्तावेजों को इकट्ठा करें जो आपके दावे का समर्थन कर सकते हैं उदाहरण के लिए ईमेल, टेक्स्ट संदेश, आवेदन फॉर्म - और उन लोगों का पता लगाएं, जो भेदभावपूर्ण आचरण के गवाह थे।
- घटनाओं और सभी तथ्यों को लिखें जो आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपके साथ भेदभाव किया गया था।
- आप भिन्न नस्ल, जाति या राष्ट्रीय मूल के उन लोगों को इंगित करके, जिन्होंने आपसे बेहतर उपचार प्राप्त किया है, अपने साथ जानभूझकर किए गए भेदभाव को दिखा सकते हैं या मकान मालिक या नियोक्ता द्वारा ऐसी कार्रवाई दिखा सकते हैं जिसका बिना भेदभाव के उद्देश्य से करना समझ में नहीं आता है।
- यह पता लगाएं कि कौन सी सरकारी एजेंसी आपकी शिकायत ले सकती है। यह कुछ हद तक आमक हो सकता है क्योंकि संघीय, राज्य और स्थानीय एजेंसियां हैं जो मदद करने में सक्षम हो सकती हैं, और जहां आप रहते हैं उसके आधार पर प्रक्रिया भिन्न होती है। संघीय एजेंसियों के लिए वेबसाइटों के साथ शुरू करें: आवास के लिए, अमेरिकी आवास और शहरी विकास विभाग; नौकरियों के लिए, समान रोजगार अवसर आयोग; और उपभोक्ता ऋण के लिए, उपभोक्ता वितीय स्रक्षा ब्यूरो।
- आपके शहर या कस्बे की अपनी नागरिक या मानवाधिकार एजेंसी भी हो सकती है जो मदद कर सकती है।
- ये एजेंसियां आपको किसी भी सहायक दस्तावेजों के साथ अपनी शिकायत का विवरण दर्ज करने और आपसे बिना किसी लागत के एक जांच करने में मदद करेंगी। ध्यान रहे कि शिकायत दर्ज करने की समय अवधि कम हो सकती है। यह प्रक्रिया आपके लिए मौद्रिक क्षति के साथ-साथ नौकरी या आवास के मुद्दे पर विचार करने का अवसर हो सकती है, और इसके लिए नियोक्ता या आवास प्रदाता को अपनी नीतियों को बदलने की आवश्यकता हो सकती है।
 - आप राज्य या संघीय अदालत में मुकदमा दायर करने पर भी विचार कर सकते हैं।

क्या मुझे शिकायत दर्ज करने पर प्रतिशोध का सामना करना पड़ सकता है?

 आपकी शिकायत या मुक्क्दमे के बारे में जानने के बाद आपके वर्तमान मकान मालिक या नियोक्ता आपके खिलाफ कोई कार्रवाई करते हैं तो उस पर ध्यान दें व उसे नोट करें। यह आचरण भेदभाव के बारे में शिकायत करने के प्रतिशोध से मुक्त होने के आपके पहले संशोधन के अधिकार का उल्लंघन कर सकता है। यदि ऐसा होता है, तो आप प्रतिशोध के लिए उपयुक्त एजेंसी के साथ एक अलग शिकायत कर सकते हैं या प्रतिशोध का दावा शामिल करने के लिए अपने मुकदमे में संशोधन कर सकते हैं।

अतिरिक्त संसाधन

कार्य स्थल पर नस्ल, जातीयता, या राष्ट्रीय मूल-आधारित भेदभाव

आपके अधिकार

- आपको नौकरी, पदोन्नति या वेतन वृद्धि से आपकी नस्ल, जातीयता या राष्ट्रीय मूल के आधार पर वंचित नहीं किया जा सकता है।
- संघीय समान रोजगार अवसर अधिनियम के तहत अवैध भेदभाव के उदाहरणों में से एक है नियोक्ता द्वारा नस्ल, जातीयता, या राष्ट्रीय मूल पर आधारित शर्तों को लागू करके नौकरी देने से इनकार करना। इसमें नौकरी पर रखने से पहले की वे आवश्कयताएँ भी शामिल है जिनका नौकरी के कार्य से लेना देना नहीं है और जो नस्ल, जातीयता, राष्ट्रीय मूल या किसी अन्य संरक्षित श्रेणियों के आधार पर लोगों को नौकरी से वंचित करती है।
- संविधान भी सरकार को किसी भी स्थिति में आपकी नस्ल, जातीयता या राष्ट्रीय मूल के कारण बदतर उपचार के अधीन करने से रोकता है।

आवास में नस्ल, जातीयता, या राष्ट्रीय मूल-आधारित भेदभाव

आवास में नस्ल, जातीयता या राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव के उदाहरण

- यदि आप मकान किराए पर लेने या खरीदने के लिए आवेदन करते हैं और आपसे कहा जाता है कि मकान मालिक काले लोगों को मकान किराए पर नहीं देते हैं या नहीं बेचते हैं।
- एक आवास या क्रेडिट प्रदाता की एक नीति होती है जो किसी विशेष नस्ल, जातीयता या राष्ट्रीय मूल के लोगों के लिए अनुचित और असम्मानजनक नुकसान का कारण बनती है। उदाहरण के लिए, आपको अपनी नस्ल के कारण मोर्टगेज ऋण से वंचित कर दिया जाता है या कोई एजेंसी ऋण या बीमा कवरेज प्रदान करने से इनकार कर देती है क्योंकि एक संपत्ति किसी विशेष क्षेत्र में स्थित होती है या समान शर्तों पर ऋण या बीमा कवरेज प्रदान करने से इनकार करती है।

आपके अधिकार

 संघीय फेयर आवास अधिनियम हाउसिंग और लेंडिंग में भेदभाव पर रोक लगाता है। संघीय समान क्रेडिट अवसर अधिनियम भी लेंडिंग में भेदभाव से सुरक्षा प्रदान करता है। दोनों क़ानून जाति, रंग या राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित करते हैं। राज्य और स्थानीय नागरिक / मानवाधिकार कानून आम तौर पर आवास और आवास संबंधी सेवाओं में भेदभाव पर रोक लगाते हैं।

स्कूलों और कॉलेजों में नस्ल, जातीयता, या राष्ट्रीय मूल-आधारित भेदभाव

स्कूलों में या परिसर में भेदभाव के उदाहरण

- छात्रों की नस्ल, जातीयता, या राष्ट्रीय मूल के आधार पर कक्षाओं या स्कूल-प्रायोजित गतिविधियों का अलगाव।
- अंग्रेजी सीखने वालों को भाषा सेवाओं से वंचित करना।
- एक जाति, जातीयता या राष्ट्रीय मूल के छात्रों को अन्शासित करना, लेकिन दूसरों को नहीं।
- अपनी नस्ल जातीयता या राष्ट्रीय मूल के आधार पर छात्रों को विभिन्न संसाधन प्रदान करना।
- फैकल्टी, साथी छात्रों, या स्कूल के कर्मचारियों द्वारा नस्ल, नस्ल, या राष्ट्रीय मूल के आधार पर
 उत्पीड़न या प्रोफाइलिंग।
- खोज या गिरफ्तारी के लिए एक विशेष नस्ल, जातीयता या राष्ट्रीय मूल के छात्रों को लिक्षित करना।

आपके अधिकार

- नागरिक अधिकार अधिनियम के शीर्षक VI के तहत, संघीय वितीय सहायता प्राप्त करने वाले कार्यक्रमों या गतिविधियों में नस्ल, रंग, या राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव निषिद्ध है। इसमें ऐसे स्कूल और कॉलेज शामिल हैं, जो अमेरिकी शिक्षा विभाग से धन प्राप्त करते हैं। (नोट: कुछ निजी स्कूलों को कोई संघीय निधि नहीं मिली है, इसलिए शीर्षक VI सुरक्षा उन पर लागू नहीं होती है।)
- आपके शिक्षण संस्थान को नस्ल, जातीयता, या राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव या उत्पीड़न के उदाहरणों का जवाब देना चाहिए जो आपके स्कूल के शैक्षिक कार्यक्रमों और गतिविधियों से भाग लेने और लाभ लेने की आपकी क्षमता को नकारते हैं या सीमित करते हैं।